"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2010—श्रावण 6, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई, 2010 (श्रावण 6, 1932)

क्रमांक -8224/विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 (क्रमांक 19 सन् 2010) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 19 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010

वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिये राज्य की संचित निधि में से 9,84,58,23,300 रुपये का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेगी, जिनका कुल योग नौ सौ चौरासी करोड़, अंठावन लाख, तेईस हजार, तीन सौ रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित [illegible]एंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,94,57,000	0	1,94,57,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	1,10,00,000	0	1,10,00,000
03	पुलिस	राजस्व	19,35,00,500	0	19,35,00,500
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	2,00,100	0	2,00,100
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,00,00,100	0	7,00,00,100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	31,00,00,000	0	31,00,00,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	100	0	100
10	वन	राजस्व	8,32,00,000	0	8,32,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	1,39,49,82,000	0	1,39,49,82,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	18,92,000	0	18,92,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,52,00,000	0	2,52,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	7,55,000	0	7,55,000
18	श्रम	राजस्व	1,81,90,000	0	1,81,90,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	100	0	100
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	8,82,00,000	0	8,82,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
		पूंजी	5,00,00,000	0	5,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	39,00,00,100	0	39,00,00,100
		पूंजी	100	0	100
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	20,10,000	1,87,71,100	2,07,81,100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	7,39,20,000	0	7,39,20,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	83,71,000	0	83,71,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	64,60,000	0	64,60,000
36	परिवहन	राजस्व	5,00,000	22,200	5,22,200
38	बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	11,30,00,000	0	11,30,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	17,83,00,000	0	17,83,00,000
		पूंजी	68,75,00,000	0	68,75,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	31,50,02,800	0	31,50,02,800
		पूंजी	53,25,00,600	0	53,25,00,600
42.	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	5,50,00,000	0	5,50,00,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	40,00,000	0	40,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	1,50,00,000	0	1,50,00,000
		पूंजी	400	0	400
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	89,00,100	0	89,00,100
		पूंजी	200	0	200
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	2,40,31,00,000	0	2,40,31,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	84,00,00,000	0	84,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	13,27,64,700	0	13,27,64,700
		पूंजी	16,50,00,400	0	16,50,00,400
67.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	2,55,00,000	0	2,55,00,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	1,30,00,000	0	1,30,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,600	0	1,600
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	49,44,00,000	0	49,44,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	28,04,21,000	0	28,04,21,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	8,00,000	0	8,00,000
	योग	**राजस्व**	**7,59,85,28,300**	**1,87,93,300**	**7,61,73,21,600**
		पूंजी	**2,22,85,01,700**	**0**	**2,22,85,01,700**
	वृहद योग		**9,82,70,30,000**	**1,87,93,300**	**9,84,58,23,300**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर
तारीख 23 जुलाई, 2010

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.